कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः–1361 / FP/UK/ROAD/22249/2016 देहरादूनः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल नं0– FP/UK/ROAD/22249/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के **पत्रांक–526 दिनांक 16–08–2017** के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। **(प्रति संलग्न)** अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/22249/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन फाईल नं0– **FP/UK/ROAD/22249/2016**)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग में 1.210 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.400 है0 राजस्व भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः

तिथि : 24/10/2017

स्थान : देहरादून

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 526 / FP/UK/ROAD/22249/2016:देहरादून:दिनांकः 16 अगस्त, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या– FP/UK/ROAD/22249/2016)

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या– Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06–11–2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 526 / FP/UK/ROAD/22249/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी